न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 77 / 2021

1 श्योपाल पुत्र गोविन्द आयु 55 साल जाति बलाई निवासी वार्ड नम्बर 17 पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं। मो.नं. 9928605636

अपीलांटस

बनाम

1 सुवालाल पुत्र माल्या आयु 71 साल
2 मंगलचन्द पुत्र माल्या आयु 60 साल
3 मक्खन पुत्र कुरड़ाराम आयु 45 साल जातिगण समस्त बलाई निवासीगण वार्ड नम्बर 04 पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं। मो. नम्बर 8003412625
4 शाखा प्रबधंक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जरिये शाखा प्रबंधक मणकसास।
5 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम बखिलाफ आदेश उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी सुवालाल बनाम श्योपाल आदि मुकदमा नम्बर 14 / 2021 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021 / 19 आदेश दिनांक 31.08.2021

उपस्थिति :

1. श्री राजवीर सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोज कुमार वर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 13/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 14/2021 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने विचारण न्यायालय में एक प्रार्थना—पत्र अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि ग्राम पचलंगी पटवार हल्का पचलंगी की सरहद में अवस्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 846, 850, 851, 852, 853 कुल किता 5 का कुल रकबा 3.33 हैक्टेयर अवस्थित है। जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व सहखातेदारी की भूमि है। मौखिक बंटवारा अनुसार भूमि खसरा नम्बर 846 पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है जिसमें आवागमन हेतु कोई रास्ता मौजुद नहीं है। प्रार्थीगण उपरोक्त खातेदारी भूमि में आवागमन भूमि खसरा नम्बर 845 में से होकर करते है जिसे प्रार्थना—पत्र संलग्न नजरी नक्शा में डोटेड दर्शाया गया है। उक्त रास्ता कटानशुदा रास्ता नहीं है, लेकिन प्रार्थी के खेत में उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा न्युनतम दूरी का कोई दुसरा रास्ता नहीं है। इसलिए उक्त रास्ता को 30 फिट चौडा राजकीय रास्ता कायम किया जाना एवं राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किये जाने का आदेश फरमावें उक्त प्रार्थना—पत्र विचारण न्यायालय में बिना किसी रिकार्ड, तथ्य, मौके पर मनन किये बिना विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.08.2021 को पारित किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर 846 रकबा 1.11 हैक्टेयर नये खाता संख्या 218 में खसरा नम्बर 850, 851, 852, 853 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। खसरा नम्बर 846 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है, जिसमें रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी 1 लगायत 3 के अलावा भी नानग, प्रभुसिंह, मंगलचन्द पुत्रगण माल्या खातेदार जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है उनका भी खसरा नम्बर 846 पर समान रूप से हक अधिकार है। इसलिए उनको

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

पक्षकार बनाये बिना बाला–बाला खसरा नम्बर 846 को मात्र रेस्पोडेन्ट का कब्जा मानकर फैसला करना विधि विरूद्ध व खिलाफ रिकार्ड होने से आदेश खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.02.2021 को आधार मानकर आदेश पारित किया है जबकि नियमानुसार भू.अभिलेख निरीक्षक से निम्न रैंक के अधिकारी द्वारा रिपोर्ट विधि मान्य नहीं है। उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण से साजकर तैयार की जो मौका व रिकार्ड से खिलाफ जाकर बनाई है। खाता संख्या 218 की अविभाजित भूमि खसरा नम्बर 853 में जब मौके पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 841 में से होकर सी.सी. सड़क बनी हुई है उसका रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए विचारण न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को आधार मानकर तथ्यों व रिपोर्ट पर गौर किये बगैर जो विचाराधीन निर्णय पारित किया है वा खिलाफ रिकार्ड व विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्टगण की भूमि खसरा नम्बर 846, 850, 851, 852, 853 स्वयं की खातेदारी है इसलिए एक ही खाता को अविभाविज भूमि पर जो पहले से रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध है तो नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेन्टगण ने विचारण न्यायालय में तथ्य व रिकार्ड छुपाकर सही तथ्य पेश नही कर बाला–बाला प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलार्थी को परेशान कर हानि पहुचाने के आशय से पेश किया है, जबकि रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या 218 के खसरा नम्बर 846, 850, 851, 852, 853 में आवागमन हेतु रास्ता मौके पर चालु है, नियमानुसार जब रेस्पोडेन्टगण 1 लगायत 3 अपने अन्य सहखातेदारों से खाता विभाजन करेंगे तो विधि अनुसार रास्ता प्रत्येक खसरा में कायम होकर ही खाता विभाजन होगा परन्तु रेस्पोडेन्टगण अपनी कीमती भूमि को सुरक्षित रखते हुए अपीलार्थी को नुकसान पहुचाने के आशय से पेश किया है अतः विचाराधीन आदेश खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की सम्यक तामील हुई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की वकालतन उपस्थिति हुई है। अपीलान्ट की ओर से विचारण न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए विधिक प्रावधानों की पालना में मौका रिपोर्ट प्राप्त की है। विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से धारा 251 ए का आवेदन स्वीकार किया है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट चाही गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है। इसकी पुष्टि तहसीलदार के पत्र कमांक 522 दिनांक 05.02.2021 से होती है। इस पत्र में मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का पचलंगी द्वारा तैयार किये जाने का अंकन है।

धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों में नियम 69 में स्पष्ट अंकन है कि धारा 251 ए मौका निरीक्षण के लिए आईएलआर से नीचे का अधिकारी अधिकृत नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया जाना प्रमाणित होने से विचारण न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के विपरित होने से विधि सम्मत नहीं मानी जा सकती है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए की नियम 69 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में सक्षम स्तर से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 13/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार II )
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर